आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 121)

आदेश पत्रक ता0..............................से..................................तक।

जिला–जामताड़ा, वाद संख्या–09,सन् 2022

केस का प्रकारः–**विविध** वाद **अभिलेख** के संबंध में।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
25.11.2022	यह विविध वाद अभिलेख उपायुक्त, जामताड़ा से Email के माध्यम से प्राप्त श्री मुरसिद अंसारी, पिता–स्व0 झगड़ू मियाँ, ग्राम–डुमरिया, अंचल–करमाटाँड़(विद्यासागर) के आवेदन के आलोक में संधारित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या–02–सह–अंचल निरीक्षक करमाटाँड़(विद्यासागर) श्री कुमार हितेश दास ने जाँच प्रतिवेदन दिया है कि मौजा–रतनुडीह, थाना सं0–17, दाग सं0–661, रकवा–0.32 एकड़ भूमि पर 1. श्री नासिर मियाँ, पिता–स्व0 शोहराब मियाँ तथा 2. श्री बाबुलाल सिंह, पिता–स्व0 बुढा सिंह के द्वारा जबरन दीवार का निर्माण किया जा रहा है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कई बार नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने हेतु निदेश दिये जाने के बावजूद 1. श्री नासिर मियाँ, पिता–स्व0 शोहराब मियाँ तथा 2. श्री बाबुलाल सिंह, पिता–स्व0 बुढ़ा सिंह, दोनो साकिन–रतनुडीह, पोस्ट–पतरोडीह, थाना–करमाटाँड़, जिला–जामताड़ा के द्वारा कोई पक्ष नहीं रखने तथा अनुपस्थित रहने से उनपर लगाये गये आरोप की पुष्टि होती है। अतः संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम(अनुपूरक प्रावधान) 1949 की धारा–20 उल्लघन हेतु वादी 1. श्री नासिर मियाँ, पिता–स्व0 शोहराब मियाँ तथा 2. श्री बाबुलाल सिंह, पिता–स्व0 बुढ़ा सिंह के विरूद्ध रैयत उच्छेद वाद के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा को भेजें। 25.11.22 अंचल अधिकारी, करमाटाँड़(विद्यासागर), जामताड़ा।	

Digitally signed by RAM PRAWESH KUMAR
Date: 2024.07.09 14:51:55 +05:30
Location: 192.168.1.3